

निर्णय बइजलास श्री शक्तिसिंह भाटी, सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमंद

प्र.सं. 34/19 रे. वाद

निर्णय दिनांक 20.10.2020

अनवान

1. श्री मदनसिंह राठौड पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी हिरण मंगरी सेक्टर 13, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. श्री बंशीदास पिता सुरतादास जाति रंगास्वामी निवासी भेरुखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

उपस्थित – 1. श्री राजेश समदानी, वकील वादी

तहसीलदार देवगढ़ से बटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसका अवलोकन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव उचित प्रतित होता है। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम भेरुखेड़ा पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजीयात :-

ग्राम भेरुखेड़ा

1. श्री मदनसिंह राठौड पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी हिरण मंगरी सेक्टर 13, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान) के हिस्से व खाते :-

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
16/2	2.00	पड़त III	0.24
योग 1	2.00	—	0.24




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

2. श्री बंशीदास पिता सुरतादास जाति रंगास्वामी निवासी भेरूखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान के हिस्से व खाते :-

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
16 / 18	1.00	पड़त III	0.12
योग 1	1.00	—	0.12

वादी उक्त भूमि के कुलिया लगान का 5 गुणा राशि के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेश करने पर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।


सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला राजसमन्द

राजस्थान-सरकार
अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द

ब इजलास श्री शक्तिसिंह भाटी सहायक कलक्टर (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
प्र.सं. 34/19 वाद पत्र निर्णय दिनांक 20.10.2020

अनवान

1. श्री मदनसिंह राठौड पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी हिरण मंगरी सेक्टर 13, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान)

— वादी

बनाम

1. श्री बंशीदास पिता सुरतादास जाति रंगास्वामी निवासी भेरूखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

ग्राम भेरूखेड़ा पटवार हल्का मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजीयात :-


ग्राम भेरूखेड़ा

1. श्री मदनसिंह राठौड पिता दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी हिरण मंगरी सेक्टर 13, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान) के हिस्से व खाते :-

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
16/2	2.00	पड़त III	0.24
योग 1	2.00	—	0.24

3. श्री बंशीदास पिता सुरतादास जाति रंगास्वामी निवासी भेरूखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान) के हिस्से व खाते :-

आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
16/18	1.00	पड़त III	0.12
योग 1	1.00	—	0.12


सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

नीज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें
के मय सूद व शहरफीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलयाबी.....का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख
20 मास 10 सन् 2020 की जारी की गई।



सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला राजसमन्द